छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-09

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 एवं 07 से 14 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 54 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निष्कासित सदस्य श्री अमित अजित जोगी की दलीय सम्बद्धता के संबंध में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15 मार्च, 2016

छत्तीसगढ़ विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता (नेता प्रतिपक्ष) ने मुझे दिनांक 25.2.2016 को यह सूचित किया है कि माननीय श्री अमित अजित जोगी, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा को दिनांक 6.1.2016 से 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है, फलस्वरूप वे कांग्रेस विधायक दल से असम्बद्ध हो गए हैं तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या 38 है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र के साथ माननीय श्री अमित अजीत जोगी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने संबंधी महामंत्री (कार्य./प्रशा.), छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश दिनांक 6.1.2016 एवं निष्कासन के फलस्वरूप कांग्रेस विधायक दल द्वारा विधान सभा की कार्यवाही में पार्टी से

असम्बद्ध किए जाने हेतु समुचित निर्देश जारी करने हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष को सम्बोधित पत्र एवं निष्कासन की अधिकारिता के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के संबंधित अंश को उद्धृत करने वाले प्रावधान की फोटोप्रति भी संलग्न की है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता के द्वारा दी गई सूचना एवं संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को अधिकारिता के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निष्कासन संबंधी कार्यवाही से मुझे अवगत कराया गया है ।

मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा दल से निष्कासित इस सभा के सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभा में असम्बद्ध सदस्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है ?

मैंने इस संबंध में लोक सभा के उद्धरणों, संविधान की दसवीं अनुसूची व नियमों तथा उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयों पर भी मनन किया ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के फलस्वरूप संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत बनाये गये **छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986** के प्रावधानों के तहत:-

(1) क्या सदन में माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी की दलीय सम्बद्धता वाली स्थिति में परिवर्तन हुआ है ? और

(2) क्या श्री अमित अजीत जोगी को सभा में कांग्रेस पार्टी से असम्बद्ध किये जाने हेतु निर्णय करने की अधिकारिता विधान सभा अध्यक्ष को है ?

(3) क्या माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी का दल से निष्कासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है ?

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के क्रमांक-2 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता में निम्नानुसार प्रावधानित है:-

''2. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता** - (1) पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरूद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण - इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए -

(क) सदन के **किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था ।''**

उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत जी. विश्वनाथन विरूद्ध अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि **''किसी सदस्य को असम्बद्ध कहना, संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत मान्य नहीं है ।''** दसवीं अनुसूची में सदस्यों को सभा में उनके **प्रवेश के आधार** पर ही वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात या तो किसी **राजनीतिक दल** को अथवा राजनीतिक दल से अलग जिसे सामान्यतः **निर्दलीय** कहा जाता है या फिर ऐसे सदस्य जिन्हें **नामांकित** किया गया हो ।

अमर सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं जयाप्रदा विरूद्ध भारत सरकार के एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने निष्कासित सदस्यों के निष्कासन के पश्चात् दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को उनके ऊपर लागू होने से उन्मुक्ति प्रदान करते हुए निष्कासित सदस्यों की स्थिति एवं ऐसे सदस्य पर संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा दो किस सीमा तक लागू होगा ? तथा राजनीतिक दल से निष्कासित सदस्य की वैधानिक स्थिति क्या होगी ? पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ पीठ को सौंपने की अनुशंसा की, जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ पीठ के समक्ष विचाराधीन है ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किसी सदस्य को किसी दल से सम्बद्ध माने जाने के लिए दसवीं अनुसूची एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और किसी सदस्य को असम्बद्ध माने जाने संबंधी कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, यह सामान्य बोलचाल का शब्द है, जो विधि के अंतर्गत मान्यता नहीं रखता ।

मैंने सभा में दिनांक 2 मार्च, 2016 को हुई कार्यवाही का भी अवलोकन किया । सभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एकाधिक बार यह स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को निष्कासित कर दिया गया है और वे उनके दल के सदस्य नहीं है । मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के दल से निष्कासन संबंधी प्रावधानों का मनन किया और मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी का निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया गया है । वर्तमान में यद्यपि उनकी अपील विचाराधीन है किन्तु अपील पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदि नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के निष्कासन को माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में अंतिम स्थिति मानता हूं।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना से यह संदेहरहित है कि स्थापित अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को असम्बद्ध सदस्य के रूप में अभिलिखित नहीं किया जा सकता या दल से निष्कासन के फलस्वरूप उनके संवैधानिक स्थिति अर्थात **''जिस दल से वे निर्वाचित हुए हैं, उसका सदस्य समझा जायेगा''** की स्थिति को निष्कासन के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसार क्योंकि निष्कासित सदस्यों को दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, अतः माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी पर दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे और सदन में वे **स्वतंत्र** अर्थात **Free (Politically independent)** रूप से कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे।

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित विधायी कार्यों हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	शासकीय विधि विषयक कार्य		**समय**
(1)	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016	-	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 को सभा की बैठक नहीं होगी।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि-

1. माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन स्थित ऐलोपेथिक चिकित्सालय में दिनांक 15 से 17 मार्च, 2016 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सांय 5.00 के मध्य शिविर का लाभ लेवें।
2. छत्तीसगढ़ विधान सभा परिसर के सी-सेक्टर में आज, मंगलवार दिनांक 15 मार्च, 2016 को माननीय सदस्यों के मनोरंजन हेतु चाणक्य नाटक का मंचन, सायं 7.00 बजे से आयोजित है। आयोजन में आप सभी माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री भूपेश बघेल, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राष्ट्रीय बीमा योजना का लाभ न मिलने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री संतोष बाफना
(2) श्री बृहस्पत सिंह
(3) श्री अरूण वोरा
(4) श्री नवीन मारकण्डेय
(5) श्री दीपक बैज

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 80, भानुप्रतापपुर से निर्वाचित सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी द्वारा मार्च, 2016 सत्र में दिनांक 11 मार्च, 2016 से 31 मार्च, 2016 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

याचिकाकर्ता सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्यसूची में दर्ज याचिकाएं प्रस्तुत नहीं हुईं।

9. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) तथा नियम 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री अंबेश जांगड़े, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शनिवार दिनांक 19 मार्च, 2016 को अपराह्न 1.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने राज्य विधान मंडल से संबंधित मांग संख्या 28, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, पुलिस से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल से संबंधित मांग संख्या 5, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79 तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या 20 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-28 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या-30 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री बघेल लखेश्वर, जनकराम वर्मा एवं मोहन मरकाम मांग संख्या-80 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या-3 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, उमेश पटेल, जनकराम वर्मा मांग संख्या-4 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, उमेश पटेल, बघेल लखेश्वर, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती देवती कर्मा मांग संख्या-5 पर श्री उमेश पटेल मांग संख्या-19 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, मोतीलाल देवांगन, उमेश पटेल, श्रीमती देवती कर्मा, श्री जनकराम वर्मा, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मोहन मरकाम, बघेल लखेश्वर, राजेन्द्र कुमार राय, लालजीत सिंह राठिया मांग संख्या-79 पर श्री अरूण वोरा मांग संख्या-20 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, मोहन मरकाम, बघेल लखेश्वर श्रीमती अनिला भेंड़िया एवं श्री जनकराम वर्मा सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री देवजी भाई पटेल (जारी)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

11. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने बजट पुस्तिका में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया:- वित्तीय वर्ष 2016-17 की बजट पुस्तिका क्रमांक-22 के अंतर्गत मांग संख्या 30, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मुख्य शीर्ष-5054, योजना क्रमांक-7475 (मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना) के अंतर्गत मद क्रमांक-4, पृष्ठ क्रमांक-22-68, 22-69 में सड़कों के नाम एक से अधिक बार त्रुटिवश अंकित हो गए हैं, जबकि एक ही सड़क का नाम एक से अधिक बार अंकित हो जाने के कारण 13 सड़कों के नाम अंकित नहीं हो सके हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बजट पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक-68 एवं 69 में सूची के सरल क्रमांक 110 से 118 पर अंकित सड़कें, त्रुटिवश 13 अन्य स्थानों पर सूची के सरल क्रमांक 119 से 131 पर भी अतिरिक्त रूप से अंकित हो गये हैं। अतएव सरल क्रमांक 119 से 131 पर अतिरिक्त रूप से अंकित सड़कों के नामों को विलोपित कर, 13 नवीन सड़कों के नामों को उनके विवरण के साथ जोड़ते हुये संशोधित कर पढ़ा जावे।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से प्राप्त संशोधन संबंधी शुद्धि पत्र पूर्ण विवरण् सहित पत्रक भाग दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को वितरित किया जा रहा है।

12. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अवधेश सिंह चंदेल, कवासी लखमा, श्यामबिहारी जायसवाल, अरूण वोरा, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), भूपेश बघेल (जारी)

सायं 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 (फाल्गुन-26, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा